विकास आयुक्त कार्यालय

विकास भवन, चतुर्थ तल, सेक्टर–19, नार्थ ब्लाक

छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर

फोन : 0771–2960220 पिन कोड–492002 E-Mail ID- establishment.vak@gmail.com

क्रमांक / 834/वि–2/स्था/2024 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 02/ 04/2025

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, विकास आयुक्त कार्यालय में सहायक विकास विस्तार अधिकारी के रिक्त पदों की भर्ती

//विज्ञापन//

छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1–07/2024/22–1 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 15.03.2024 द्वारा वित्त विभाग के जावक क्रमांक 203/सी.एन 22–0061/बजट–2/वित्त/चार 2024 दिनांक 27.02.2024 द्वारा सहायक विकास विस्तार अधिकारी के 200 पदों की पूर्ति की सहमति के आधार पर सहायक विकास विस्तार अधिकारी की नियुक्ति के लिए छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी पात्र अभ्यर्थियों से, ऑनलाइन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर के माध्यम से आमंत्रित किये जाते है।

1. **ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ तिथि एवं लिखित परीक्षा की तिथि छ.ग. व्यापम द्वारा पृथक से जारी की जावेगी।**

रिक्त पद एवं विभागीय नियम

पद का नाम	–	सहायक विकास विस्तार अधिकारी (ADEO)
वेतनमान	–	लेवल 6, ग्रेड वेतन 2400 छ.ग. शासन द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
संभावित कुल रिक्तियों की संख्या	–	200 (रिक्त 193 एवं बैकलॉग अजजा–2, बैकलॉग दिव्यांगजन –5 (दृष्टिबाधित) कुल 200)

2. **श्रेणी एवं वर्गवार आरक्षण :–**

क्र.	पदनाम	कुल रिक्त पदों की संख्या	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ भू.पू.सैनिको के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद
			अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा	अ.पि.व.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	सहायक विकास विस्तार अधिकारी	193	81	23	62	27	24	6	18	8	8	2	6	2	14 (OA,OL-5, HH -5, LV-4,)
	बैकलॉग	7	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5- LV

महत्वपूर्ण टीप :–

1. विज्ञापित पदों की संख्या परिवर्तनीय हैं, संख्या विभाग की आवश्यकता के अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। पदों की संख्या कम/अधिक करने के लिए नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी "विकास आयुक्त" का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
2. विज्ञापित पदों के लिए की जाने वाली नियुक्तियां/चयन माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होंगी।
3. विज्ञापित बैकलॉग पदों पर की जाने वाली नियुक्तियां/चयन माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर प्रकरण क्रमांक WP(S) No. 4788/2020, WP(S) No. 3029/2020, एवं WP(S) No. 4491/2020 में पारित आदेशों के अध्याधीन होगी।

3. पात्रता एवं शर्तेः–

(i) शैक्षणिक अर्हता का विवरणः–

क्र.	पदनाम	**विहित शैक्षणिक अर्हता**
1	2	3
1	सहायक विकास विस्तार अधिकारी	(एक) किसी भी "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि धारक हो। तथापि, ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर उपाधि/ स्नातकोत्तर पत्रोपाधि धारित करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी" (दो) मेरिट सूची, प्रतियोगी परीक्षा में अभिप्राप्त अंको का 85 % अधिभार देते हुए तैयार की जायेगी तथा अतिरिक्त 15 अंक, उन अभ्यर्थियों को दी जायेगी जो ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर उपाधि/ स्नातकोत्तर पत्रोपाधि धारित करते हों।

टीपः–

- व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक आवेदित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं से संबंधित स्नातक उपाधि/स्नातकोत्तर उपाधि / स्नातकोत्तर पत्रोपाधि /अंतःकालीन प्रमाण पत्र/ छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा आयु संबंधी प्रमाण (सामान्यतः हाईस्कूल/मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र। अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे) एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र धारित करना अनिवार्य है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई शैक्षणिक अर्हताओं एवं अन्य अर्हता के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

- विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता से संबंधित समस्त सेमेस्टर / वर्ष की अंकसूची अभ्यर्थी के पास होना अनिवार्य है।

- प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं आनलाईन आवेदन की हार्ड कापी के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्रों के सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले एवं न्यूनतम अर्हता पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थी चयन के लिए पात्र नहीं होंगे।

- चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा चयन सूची जारी करने के बाद भी यदि नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गयी है तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन / नियुक्ति, "नियुक्ति प्राधिकारी" द्वारा समाप्त कर दी जावेगी।

4. आयु सीमा (विभागीय भर्ती नियम अनुसार):-

- **सहायक विकास विस्तार अधिकारी के पद के लिये अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु –20 वर्ष, अधिकतम–30 वर्ष** परन्तु छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2002/1–3 रायपुर दिनांक 15.06.2010 में दिये गये निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है किन्तु परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2015/1–3 नवा रायपुर दिनांक 18.01.2024 में दिये गये निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारो के हित को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट होगी।
- आयु की गणना दिनांक 01.01.2025 के संदर्भ में की जावेगी।

नोट:– आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश अनुसार निर्धारित अधिकतम आयु सीमा मान्य होगी।

अन्य शर्तें:–

(i) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो उच्चतर आयु–सीमा अधिकतम 5 (पॉच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ii) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(iii) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हैं या रह चुके हैं, उच्चतर आयु सीमा नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, शिथिलनीय होगी:–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए,

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण करता हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए । यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत् कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी,

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया शासकीय सेवक है, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 (सात) वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु–सीमा से 3 (तीन) वर्ष से अधिक न हो;

स्पष्टीकरण– शब्द "छटनी किए गए शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन

कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोमुक्त किया गया हो ।

(चार) ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु–सीमा से 3 (तीन) वर्ष से अधिक न हो। स्पष्टीकरण– शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो और जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा है और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से, अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व, मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण छटनी किया गया हो या जिसे अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो:–

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्त रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो,

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दूसरी बार नामांकित किया गया हो और जिन्हें–

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर,

(ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(3) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक,

(4) संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किये गये ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं,

(5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर निरन्तर छः मास से अधिक समय तक कार्य करने के पश्चात् सेवामुक्त किया गया हो,

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो,

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवामुक्त किया गया है, कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है,

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय, आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो ।

(iv) अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पत्तियों के उच्च जाति के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 (पाँच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(v) शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान तथा महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान या "राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी सामान्य उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पाँच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(vi) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी हैं, की उच्चतर आयु अधिकतम 38 (अड़तीस) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(vii) स्वयं सेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान– कमीशन्ड अधिकारियों की दशा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा 8 वर्ष तक की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी., किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 (अड़तीस) वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(viii) उपरोक्त किसी भी एक या एक से अधिक आधार पर आयु सीमा में छूट का लाभ दिए जाने के उपरांत भी शासकीय सेवा में प्रवेश हेतु, आयु सीमा 45 (पैंतालिस) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

5. पदों का आरक्षण :-

(i) उपरोक्त पदों पर चयन के लिये छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबंध तथा उक्त अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

(ii) राज्य में सीधी भर्ती के पदों के लिए लागू महिला आरक्षण, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण एवं दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण के संबंध में जारी किए गये नियम/निर्देश लागू होंगे।

(iii) आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को ही प्राप्त होगा तथा सभी प्रकार की आयु में छूट का लाभ (विधवा, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक) स्थानीय निवासियों को ही प्राप्त होगा।

(iv) दिव्यांगजनः- दिव्यांगता से बाधित केवल ऐसे अभ्यर्थी सेवाओं/ पदों में आरक्षण के लिये पात्र होगें, जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हों। जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहता हो उसे जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (उस व्यक्ति के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान जिसके पक्ष में दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया के साथ) चयन प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं नियुक्ति के समय दिव्यांग कोटे के अभ्यर्थियों द्वारा दिव्यांगता के संबंध में घोषणा पत्र / शपथ पत्र (स्वयं) प्रस्तुत किया जावेगा।

(v) **छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन रायपुर के परिपत्र क्रमांक/एफ-13-4/2019/आ.प्रा./1-3 रायपुर दिनांक 05.03.2019 में दिव्यांगजनों के लिए जारी दिशा-निर्देश अनुसार कार्यवाही की जाएगी।**

(vi) **छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन रायपुर के परिपत्र क्रमांक/एफ-20-4/2014/आ.प्र./1-3 रायपुर दिनांक 27.09.2014 में संलग्न समाज कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन का छ.ग.राजपत्र क्र. एफ 1-21/2014 /सक/26 दिनांक 25 सितम्बर 2014 प्रकाशन तिथि 26 सितम्बर 2014 के कंडिका 4 अनुसार दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए चिन्हांकित पदो की सूची जारी की गई है** जिसमें सहायक विकास विस्तार अधिकारी के पद हेतु निःशक्तजन की निम्न श्रेणी चिन्हांकित है:-

क्र.	पदनाम	निःशक्तजन का श्रेणी
1	सहायक विकास विस्तार अधिकारी	OA,OL, LV,HH

शब्द संक्षेपः- OA (एक बाजू), OL (एक पैर), LV (कम दृष्टि), HH (श्रवण बाधित), ।

6. जाति प्रमाण पत्र :-

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी हो एवं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रिमिलेयर) की श्रेणी में आता है तो उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाण पत्र चयन प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ii) छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 13–22/2012/आ. प्र/1–3, दिनॉक 24.09.2013 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों को समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं प्रारूप अनुसार शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7. नियुक्ति के लिए अन्य शर्तें:–

(i) आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र चयन प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ii) छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी दिव्यांगजन, जो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र (जिसमें उनकी दिव्यांगता के प्रकार का विज्ञापन में दर्शाये अनुसार स्पष्ट उल्लेख हो) प्रस्तुत करते हैं, उन्हें ही दिव्यांग आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। किसी भी विवाद अथवा शंका होने की स्थिति में नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी का अधिकार होगा कि वह अभ्यर्थी को राज्य मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर दिव्यांगता श्रेणी के संबंध में आवश्यक परीक्षण करावें तथा राज्य मेडिकल बोर्ड से प्राप्त प्रमाण पत्र उपलब्ध करावें।

(iii) छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चयन प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(iv) आनलाईन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लेंवे कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी यह पाया जाता है कि कोई अभ्यर्थी विहित अर्हता नहीं रखता है अथवा पात्रता नहीं रखता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पायी जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता / चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा। इस संबंध में नियुक्तिकर्ता अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

(v) चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करते समय स्थानीय निवासी, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता/तकनीकी अर्हता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(vi) चयनित अभ्यर्थियों को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही सेवा में लिया जावेगा ।

(vii) चयनित अभ्यर्थियों को पुलिस व्हेरीफिकेशन कराया जावेगा।

(viii) समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्म तिथि को आधार मानकर वरियता निर्धारित की जावेगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसको वरियता प्रदान की जावेगी।

(ix) यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, अतएव नियुक्ति की निर्धारित शर्तों का पालन नही किये जाने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकेगी।

(x) अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में तथा भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी " विकास आयुक्त" के पास सुरक्षित रहेगा।

(xi) प्रमाण पत्रों/ दस्तावेजों की वैधानिकता प्रमाणित करने का भार अभ्यर्थी पर होगा।

(xii) छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जावेगा। अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

8. नियुक्ति हेतु चयन विधि :–

I. उक्त पदों पर चयन हेतु एक लिखित प्रतियोगी परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर द्वारा आयोजित की जावेंगी।

II. व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर अंतिम मेरिट सूची व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा तैयार की जावेगी।

III. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार विकास आयुक्त, छत्तीसगढ़, नया रायपुर के पास सुरक्षित होगा।

IV. चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के समय समस्त प्रमाण पत्र की मूलप्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

V. यदि किसी भी आरक्षित अथवा अनारक्षित वर्ग में महिलाओं के लिए उपरोक्तानुसार आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते है तो ऐसे रिक्त पद अग्रणित (Carry Forward) नही किये जाएंगे, वरन उसी प्रवर्ग के पुरूष उम्मीदवार के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे जिस प्रवर्ग के लिए आरक्षित है।

VI. भूतपूर्व सैनिक के पद के विरूद्व सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़कर) में से जिस श्रेणी के आवेदक होगा उसे हॉरिजेण्टल आरक्षण के कारण उस श्रेणी के अंतर्गत माना जायेगा।

VII. दिव्यांगता से ग्रस्त कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध व्यक्ति नहीं हो तो इसे दिव्यांगता की श्रेणियों के बीच अदला–बदली करके भरा जावेगा।

VIII. यह नियुक्ति छ.ग. राज्य के लिए है, अतएव चयनित उम्मीदवार को रिक्तयों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी विकासखण्ड / जिलों में पदस्थापना दी जाएगी।

IX. अभ्यर्थी आनलाईन आवेदन करने से पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतयाः संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन पत्र भरें। परीक्षा में सम्मिलित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी।

X. प्रत्येक आवेदक को चाहिए की वे विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में दिये सभी खानों को भली प्रकार से देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही और पूरी जानकारी भरे यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी तथा त्रुटि या अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा। गलत जाति प्रमाण पत्र

देने या आवेदन पत्र में जाति त्रुटि होने पर भी विभाग चयन के किसी भी स्तर पर आवेदन की उम्मीदवारी निरस्त कर सकेगा और आवश्यक सम्यक निर्णय ले सकेगा चयन के किसी भी स्तर पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

9. परिवीक्षा :–

छ.ग. शासन वित्त विभाग, मंत्रालय महानदी भवन का वित्त निर्देश 33/2023 दिनांक 12.09.2023 के द्वारा जारी दिशा निर्देश के बिन्दु क्रमांक 3.5 अनुसार सीधी भर्ती के प्रकरणों में 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जावेगा।

10. नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र :–

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग / निगम / मंडल/ उपक्रम में कार्यरत हो अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हो या राष्ट्रीयकृत / अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हो तो वे आनलाईन आवेदन कर सकते है, परंतु उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी / कार्यालय प्रमुख से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त कर चयन प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ii) यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं, तथा संबंधित संस्था द्वारा उन्हें भारमुक्त नहीं किया जाता है जिसके फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है, तो इसके लिए नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई आवेदन / अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

11. अनर्हता :– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी–

(i) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा / नही होगी। परंतु यदि शासन का यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के विशेष कारण है, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(ii) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाये, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ्य तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष, जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त न पाया जाय।

परंतु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवायें तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

(iii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाय, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाय कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है

(iv) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का दोषसिद्ध ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिये पात्र नहीं होगा। परंतु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध माननीय न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाय।

(v) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

12. परीक्षा पाठ्यक्रम :–

सहायक विकास विस्तार अधिकारी हेत निर्धारित पाठ्यक्रम में आजीविका से संबंधित ज्ञान, पंचायती राज संबंधी ज्ञान, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं का ज्ञान, सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन एवं सामान्य हिन्दी के कुल 100 प्रश्नों का एक ही प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, जिसके चार विकल्प में से एक विकल्प सही होगा, सही विकल्प पर उत्तर शीट में नीचे नीले/काले डाट पेन से गोला लगाना होगा।

पाठ्यक्रमः–

1. सामान्य अध्ययन
2. छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन
3. ग्रामीण विकास की योजनाएं एवं पंचायती राज –
    - आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी।
    - पंचायती राज की जानकारी।
    - ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी।
4. सामान्य हिन्दी।

नोट :– विस्तृत जानकारी पृथक से संलग्न है।

13. अन्य :–

नियुक्ति की परीक्षा पद्धति, नियम व शर्ते, परीक्षा पाठ्यक्रम तथा परीक्षा हेतु आवेदन की विधि तथा परीक्षा संचालन संबंधी विस्तृत जानकारी व्यापम की वेबसाईट पर देखा जा सकता है।

अपर विकास आयुक्त
विकास आयुक्त कार्यालय
छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर